न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
82/20	22.10.2020	27.11.2021

उनवान

सविता पत्नि विवेक जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाष चन्द वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

–:निर्णयः–

वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का सुक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से हैः–

वकील वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम कोलगाव तहसील किशनगढबास मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.53 हे. सालिम जिसका साबिक खसरा नम्बर 97 मिन रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम कोलगांव से कायम हुआ है विवादित आराजी बलदेव पुत्र जहारिया चमार की पटटेदारी की आराजी थी जिसका बलदेव पटटेदार काबिज काश्त आराजी रहा है जिसके नाम का अंकन सम्वत 2020 के खाता सख्या 147 मे अंकित है पटटेदार बलदेव के फौत होने पर आराजी उसके वारिसान मंगल पुत्र बलदेव 1/2 भाग, रामजीलाल प्रभूदयाल पि. सम्पत समभाग 1/2 भाग मे दर्ज हुई और जिनके फौत होने पर उनके वारिसान सुरजीबाई , रामबाई पुत्री मंगल , मैना बेवा , पन्नीलाल, राजेश कुमार , अशोक कुमार पुत्रान , सुनीता ,गीता,कविता पुत्रीयान शादीराम , प्रभूदयाल पुत्र सम्पत , सतीश सुरेश पुत्रान व सोमोती बेवा रामजीलाल , खूबराम , अजय कुमार पुत्रान जगदीश जाति चमार निवासी कोलगांव काबिज हुए । जिनके नाम का अंकन दर्ज रिकार्ड गैर खातेदार है और उपरोक्त वारिसान से वादीया ने जरिये इकरारनामा दिनांक 28.08.2013 को बाकब्जा खरीद की हुई है जिस पर बैरोज खरीद से वादीया काबिज काश्त चली आ रही है। गैर खातेदारान ने पूर्ण राशि प्राप्त कर विधिवत इकरारनामा तहरीर व तकमील कराया है ।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

वादीया द्वारा आराजी उक्त को जर्ये इकरारनामा के कय किया है मौके पर आराजी पर कब्जा काश्त है इसलिए वादीया कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 06.10.2009 के संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 30.3.2012 के अनुसार अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर नियमानुसार राशि जमा कराकर खातेदारी सनद प्राप्त कराने का अधिकारी है अतः दावा इश्कतकरारहक दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि वाद वादीया निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावेः–

1. यह है कि डिकी इश्तकरारहक दुरूस्ती इन्द्राज पारित की जाकर वादीया आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.53 हे. वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास की जरिये इकरारनामा दिनांक 28.08.2013 के काबिज वो दखिल है एवं इकरारनामा बहक वादीया विधिवत् गैर खातेदारान पटटेदारान ने बाकब्जा तहरीर करते हुए चुकता रकम प्राप्त की हुई है। वादीया मुतनाजा पर अपना कब्जा सिद्व कराकर राज्य सरकार के परिपत्र 30.3.2012 के अनुसार अवैध हस्तानान्तरण प्रकरण के आधार पर कीमत जमा कराकर सनद खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. यह है कि मौजूदा जमाबन्दीया तमे जो आराजी मुतनाजा पर गैर खातेदारान पटटेदारान का अंकन दर्ज किया हुआ है खिलाफ कानून खिलाफ मौका कब्जा है हकूक वादीया के विरूद्व नल एण्ड वाईड है काबिल दुरूस्ती है जिस गैर खातेदार इन्द्राज को हजफ कराया जाकर वादीया को खातेदार घोषित किया जाकर खातेदार दर्ज कराया जावे।
3. खर्चा मुकदमा का वादीया को दिलाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा जबाब पेश कर निवेदन है कि निर्णय श्रीमान न्यायालय क्षेत्राधिकार है।

वकील वादी ने साक्ष्य के रूप मे शपथ पत्र पी.डब्ल्यू 1 सविता, पी.डब्ल्यू 2 आसमोहम्मद शपथ पत्र पेश किये । तथा पी.डब्ल्यू 1 साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2004 प्रदर्श 3, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 प्रदर्श 4, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2010–11 प्रदर्श 5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2021 प्रदर्श 6 , इकरारनामा प्रदर्श 7 पेश किये ।

हमने वकील वादी की बहक सुनी गई । वकील वादी ने वाद मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए वाद वादी को डिकी किये जाने की इश्तदुआ की।

हमने वकील वादी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया । वादीया द्वारा आराजी उक्त को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदारान से जर्ये इकरारनामा दिनांक 28.08.2013 के द्वारा कय किया है मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 जो प्रदर्श 2 है जिसमे हाल खसरा नम्बर 189 रकबा 2 बीघा

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

02 बिस्वा का साबिक खसरा नम्बर 87 मिन रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा बना है प्रदर्श 4 जमाबन्दी सम्वत 2020 जो प्रदश्र 4 है जिसके साबिक खसरा नम्बर 87 मिन रकबा 2 बीघा 03 बिस्वा पर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैर खातेदार के बुर्जग बलदेव पुत्र जहारिया चमार सा. देह पटटेदार के नाम का अंकन हो रहा है तथा तहसीलदार किशनगढबास के पत्र कमाक /राजस्व/20/310 दिनांक 16.12.2020 के अनुसार मौके पर सविता वादीया का कब्जा काश्त है सरसो की फसल बोई हुई है।जिससे कब्जा वादीय बाखूबी सिद्व होता है। तथा प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 ग्राम पंचायत कोलगांव मे नियमन कमेठी द्वारा भी आराजी उक्त को प्रकरण अवैध हस्तानान्तरण मानते हुए राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार आराजी उक्त की नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराने के सर्व सम्मति से खातेदारी सनद जारी के आदेश पारित किये है। अतः हम आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.53 हे. वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कराकर खातेदार सनद जारी किया जाना उचित एवं न्यायसंगत समझते है। वाद वादीया काबिले डिकी करार पाता है।

अतः आदेश है:-

वाद वादीया बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.53 हे. वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास का खरीददार काबिल काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैरखातेदार के नाम के अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेगे। पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमिल दाखिल लेख भण्डार हो सुना गया।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास जिला अलवर

अध्यासित द्वारा :– ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

मु.न.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
82 / 20	22.10.2020	27.11.2021

पर्चा डिकी

उनवान

सविता पत्नि विवेक जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , लैण्ड होल्डर , किशनगढबास जिला अलवर राज.

:– प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3.2021

....

उपस्थितिः–

1. श्री सुभाष चन्द वकील वादीगण की और से।
2. प्रतिवादी की और से पैरोकार सरकार

वाद वादीया बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.53 हे. वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास का खरीददार काबिल काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा वादी राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 30.3. 2012 के अनुसार नियमितिकरण शुल्क एवं शास्ती जमा कोष कराने पर खातेदारी सनद जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गैरखातेदार के नाम के अकंन को हजफ कर मुताबिक सनद खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

प्रारूप सख्या
(देखिये नियम 15(3))
सनद का प्रारूप

चूकी राजस्थान भू. राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू. आवंटन नियम 1970 तथा आवंटन आदेश मे वर्णित शर्तो एवं राजस्थान निष्क्रान्त कृषि भूमि का स्थाई आवंटन नियम 1963 के संशोधित (राजस्व विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 06.10.2009 के संशोधित परिपत्र दिनांक 30.3.2012) के अधीन/नियमन की गई भूमि की खातेदारी सनद निम्न प्रकार से जारी की जाती है।

1. आवंटन एवं नियमन का दिनांक एवं स्थान	राजस्व वाद सविता बनाम सरकार मु.न.82/20 निर्णय दिनांक 27.11.2021
2. खातेदार का नाम व पूर्ण पता	सविता पत्नि विवेक जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
3. तहसील व जिला	तहसील किशनगढबास जिला अलवर
4. राजस्व ग्राम जहा भूमि स्थित है।	ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास जिला अलवर
5. भूमि का क्षेत्रफल मय खसरा नम्बर मय किस्म	आराजी खसरा नम्बर 189 रकबा 0.53 है. वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढबास किस्म बारानी ए
6. लगान दर	खातानुसार
7. भूमि किमत का ब्योरा मय ब्याज जो जमा की गई। मय राशि जमा होने का चालान नम्बर व दिनांक	जी.आर.एन. 56085868 से राशि 4240 रू.(चार हजार दो सौ चालिस रूपये मात्र) मद सख्या 0075 जी.आर.एन. 56085900 से राशि 2120 रू.(दो हजार एक सौ बीस रूपये मात्र) मद सख्या 0049

नोटः– यह सनद आराजी उक्त के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज समस्त गैर खातेदारान के समस्त अंकन पर जारी की गई ।

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

दिनांक :– 10.12.2021

क्रमाक/सम/2021/ 1016–19

प्रतिलिपिः–

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. तहसीलदार किशनगढबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रार्थीगण का सनद अनुसार खातेदारी नामान्तकरण दर्ज कर नामान्तकरण प्रति इस कार्यालय को भिजवाये।
2. पटवारी हल्का को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री सविता पत्नि विवेक जाति जाटव निवासी दोहडा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज
4. रक्षित पत्रावली

(ओमप्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)